न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(बाल मुकुन्द असावा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
राजस्व अपील संख्याः 09/2022
दायर दिनांकः 13.05.2022
निर्णय दिनांक 10.12.2024

—: अनवान :—

श्री ईश्वर सिंह पुत्र फतेहसिंह जी जाति देवडा आयु 51 वर्ष, निवासी राजपुरा तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज0)

— अपीलार्थी

:: बनाम ::

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जी आमेट तहसील आमेट, जिला राजसमन्द

— रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उपतहसीलदार जी सरदारगढ़ तहसील आमेट निर्णय दिनांक 15.09.2021 प्रकरण संख्या 249/2021 ना0क0

उपस्थितः—

1— श्री गोपाल आचार्य, अधिवक्ता अपीलान्ट

2— श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अपील विरूद्ध निर्णय उपतहसीलदार सरदारगढ़ तहसील आमेट निर्णय दिनांक 15.09.2021 प्रकरण संख्या 249/2021 ना0क0 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम घोसुण्डी में गांव के निवासीयो के मकान घरों की बसावट कालोनी के रूप में नहीं हो कर छितरायी हुई है तथा ग्रामीण परिवेश के रिहायशी घर/मकान बने है जिसके साथ अपने पशु मवेशी भी उसी घर के आगे पीछे चार दिवारी बना बांधते है उनके लिये घास फुस व घर में जलाने का ईंधन भी उसी परिसर में रखते चले आ रहे। उक्त पुश्तैनी बाडे में पिछले तीस वर्षों से अपीलार्थी का परिवार पशुओं को बांधने घास फुस रखने तथा उसमें

न्यायालय जिला कलक्टर

निवास कर बिना किसी रोक टोक के बिना किसी के उजर ऐतराज के उपयोग, उपभोग करता आ रहा है। अपीलार्थी के उक्त मकान पर विद्युत कनेक्शन के लिये काफी समय पुर्व ग्राम पंचायत घोसुण्डी के द्वारा विद्युत आवेदन पत्र में ग्राम पंचायत की अनापत्ति पर मोहर लगा कर हस्ताक्षर करने के पश्चात विधुत विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र की आबादी में बसे घरों के विद्युतीकरण के लिये लाईन स्थापित करा अपीलार्थी कों विद्युत कनेक्शन दिया है। जो अब तक बना हुआ है, जिसका बिल अपीलार्थी के द्वारा जमा कराया जा रहा है। राजपुरा पंचायत घोसुण्डी गांव की आबादी के बसावट की तथा समय के साथ आबादी विस्तार हेतु कभी इसकी किस्म पर व बसावट पर पंचायत ने ध्यान नहीं दिया, किन्तु आमेट–सरदागढ़ सडक बनने के बाद उपरोक्त बस्ती/गांव की आबादी की बसावट के आस पास की जमीन किमते बढ़ जाने से अब पंचायत के द्वारा राजनैतिक रंजिश रख कर अनाधिकृत निर्माण बता कर प्रताडित किया जा रहा है। जबकि उसी क्षेत्र में उपरोक्त आबादी के पास रोड व स्कुल भी बनाया हुआ है। उक्त अपीलार्थी के लम्बे समय पुराना रिहायशी मकान की पूरी जानकारी रखते हुए भी पंचायत द्वारा अथवा हल्का पटवारी द्वारा किसी भी प्रकार से इसके अतिक्रमण होने का कोई सूचना पत्र तक जारी नहीं किया गया। उपतहसीलदार साहब सरदारगढ़ तहसील आमेट द्वारा पटवारी हल्का घोसुण्डी की रिपोर्ट पर अपीलार्थी को दिनांक 15.09.2021 की सुनवाई के सूचना पत्र जारी किये जो हल्का पटवारी के द्वारा बताया की सरदारगढ आ कर अपने हस्ताक्षर कर देना बाकी कोई बात नही है। अपीलार्थी अनपढ हो कर केवल साक्षर होने से पटवारी जी की बात पर विश्वास कर उप तहसील सरदारगढ जा कर इस बाबत जानकारी करने पर अपीलार्थी को उसका रिहायशी बाडा अतिक्रमण होना बताया। तब अपीलार्थी ने अपने हस्ताक्षर कर अपनी ओर से पैरवी वकील से कराने के लिये मौका देने का निवेदन किया, जिस पर अपीलार्थी को बाद में सुनवाई की तारीख की सूचना देना बता कर रवाना कर दिया और उसके मकान को केवल बाडा बताते हुए बेदखली का आदेश दिनांक 15.09.2021 को पारित कर दिया गया। अपीलार्थी को अपनी ओर से जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नही दिया गया वरन अपीलार्थी को योजनाबद्ध तरीके से अन्धेरे में रखते हुए आदेश पारित किया जिसमें पारदर्शी सुनवाई का अभाव रहा है। जिससे उक्त आदेश निरस्त योग्य है। प्रकरण की पत्रावली की आदेशिका लिखी ही नही गई, केवल छाप लगाकर फाईल को ही निपटा दिया गया, जिससे पुरी सुनवाई की प्रकिया ही दुषित हो गई है। जिसके चलते अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्थिर रहने के काबिल नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध पारित निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है क्योकि कोई भी निर्णय फिक्स व प्रिन्टेड फोरमेट मे नही हो सकता है। अतः प्रार्थना है कि अपीलान्ट की अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.09.2021 को अपास्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा उपस्थित हुए।

न्यायालय कलक्टर

उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम पर बहस सुनी गई। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के लिए अंकित कारण सन्तोषप्रद होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब अवधि को न्यायहित में कन्डोन किया जाता है।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि पर पिछले तीस वर्षों से अपीलार्थी का परिवार पशुओं को बांधने घास फुस रखने तथा उसमें निवास कर बिना किसी रोक टोक के बिना किसी के उजर ऐतराज के उपयोग, उपभोग करता आ रहा है। अपीलार्थी के उक्त मकान पर विद्युत कनेक्शन के लिये काफी समय पुर्व ग्राम पंचायत घोसुण्डी के द्वारा विद्युत आवेदन पत्र में ग्राम पंचायत की अनापत्ति पर मोहर लगा कर हस्ताक्षर करने के पश्चात विधुत विभाग द्वारा उक्त क्षेत्र की आबादी में बसे घरों के विद्युतीकरण के लिये लाईन स्थापित करा अपीलार्थी कों विद्युत कनेक्शन दिया है। जो अब तक बना हुआ है, जिसका बिल अपीलार्थी के द्वारा जमा कराया जा रहा है। वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बेदखली का आदेश दिनांक 15.09.2021 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण में अपीलार्थी को अपनी ओर से जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नही दिया गया वरन अपीलार्थी को योजनाबद्ध तरीके से अन्धेरे में रखते हुए आदेश पारित किया जिसमें पारदर्शी सुनवाई का अभाव रहा है। जिससे उक्त आदेश निरस्त योग्य है। प्रकरण की पत्रावली की आदेशिका लिखी ही नही गई, केवल छाप लगाकर फाईल को ही निपटा दिया गया, जिससे पूरी सुनवाई की प्रकिया ही दुषित हो गई है। जिसके चलते अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय स्थिर रहने के काबिल नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध पारित निर्णय, निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है क्योकि कोई भी निर्णय फिक्स व प्रिन्टेड फोरमेट मे नही हो सकता है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, सरदारगढ़ द्वारा पारित किया गया आदेश विधिसम्मत है। अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि राजस्व ग्राम राजपुरा पटवार हल्का घोसुण्डी उप तहसील सरदारगढ़ की आ.नं. 65 रकबा 1.2000 हक्टै. चरागाह भूमि है, जिस पर अपीलार्थी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिया है, जिसमें अपीलार्थी ने जारी नोटिस की पालना में पेशी दिनांक को उपस्थित होकर उक्त चरागाह भूमि पर अपना कब्जा होना स्वीकार किया एवं पत्रावली में अपने हस्ताक्षर अंकित किये तथा वादग्रस्त भूमि पर

न्यायालय जिला कलक्टर

अपीलार्थी द्वारा अपना पुराना कब्जा होने संबंधी कोई दस्तावेज/साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये। जहाँ तक वादग्रस्त भूमि के नियमन का प्रश्न है वादग्रस्त भूमि चरागाह भूमि है एवं चरागाह भूमि के संबंध में राजस्व (ग्रप–7) विभाग राजस्थान सरकार ने पत्र दिनांक 10.07.2023 से निर्देशित किया कि "**चारागाह भूमि पर अतिक्रमण को नियमित करने की किसी भी प्रकार की कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक नहीं की जावे।**" चूंकि वादग्रस्त भूमि चारागाह होना निर्विवादित है एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार/उपतहसीलदार को चारागाह भूमि पर किये गये अतिक्रमण को बेदखली आदेश पारित करने के अधिकार प्राप्त है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया बेदखली आदेश न्यायोचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आधारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सरदारगढ़ के द्वारा दिनांक 15.09.2021 को पारित आदेश यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रति तहसीलदार सरदारगढ़ को लौटायी जावे।

10/12/24

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 10.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/12/24

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद